

## प्रेसनोट दिनांक 13.09.2023

1. दिनांक 12.09.2023 को वादी उ०नि० श्री रामप्रकाश सिंह थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि स्वामी दयाल पुत्र माता बदल नि० ऋषि टोला थाना को०नगर अयोध्या।आदि 03 नफर सभी गिर० अभियुक्तगण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रूपये की हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तो से जुआ खेलना, मौके से मालफड़ व जामातलाशी से 280 रूपये व 52 ताश के पत्ते बरामद होना। संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 613/23 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 12.09.2023 को वादी उ०नि० श्री अमित कुमार सिंह थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामू निषाद पुत्र सियाराम नि० अंजना थाना पूराकलन्दर अयोध्या। आदि 02 नफर दोनों गिर० अभि०गण के कब्जे से 500 लीटर कच्ची शराब नाजायज व बनाने का उपकरण बरामद होना। संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 451/23 धारा 60(2) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 12.09.2023 को वादी उ०नि० श्री मुश्ताक शाह थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राम भारत पुत्र स्व० बासू नि० अंजना थाना पूराकलन्दर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 452/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 12.09.2023 को वादी उ०नि० श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रोशन पुत्र शंकर नि० भदेसर थाना को०बीकापुर अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 650 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 180/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 12.09.2023 को वादी उ०नि० श्री प्रमोद कुमार यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रविन्द्रनाथ उर्फ सोनू मिश्रा पुत्र राजकरन नि० देवी का पुरवा थाना खण्डासा अयोध्या।गिर० अभि० द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली स्कूली छात्राओं/महिलाओं पर भद्दी-भद्दी टिप्पणी करना। संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 198/23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 12.09.2023 को वादी उ०नि० श्री राहुल कुमार यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अंकित यादव पुत्र राजेन्द्र नि० करमूपुर थाना खण्डासा अयोध्या।गिर० अभि० द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली स्कूली छात्राओं/महिलाओं पर भद्दी-भद्दी टिप्पणी करना। संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 199/23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 12.09.2023 को वादी उ०नि० श्री कमलेश कुमार सरोज थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि फुकरान अहमद पुत्र इस्तखार नि० नवीपुर थाना पटरंगा अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 75 ग्राम मारफीन नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 212/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।